



परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	—
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	26 जुलाई 13

परियोजना का नाम	एमएफएफ –स्वच्छ ऊर्जा वित्त निवेश कार्यक्रम
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	46268-001
स्थिति	प्रस्तावित
भौगोलिक अवस्थिति	—

इस प्रलेख में किसी कंटी कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र तथा/अथवा उपक्षेत्र वर्गीकरण	ऊर्जा/अक्षय ऊर्जा
विषयगत वर्गीकरण	आर्थिक विकास पर्यावरण-सम्पोषणीयता निजी क्षेत्र विकास जलवायु परिवर्तन
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	—

■ वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	—	साधारण पूंजी संसाधन	500,000
—	—	पूरक	500,000
योग			यूएस \$ 1,000,000

■ संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया <http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories> देखें

पर्यावरण

अस्वैच्छिक पुनर्वास

स्वदेशी लोग

■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण-पहलू

उचित सावधानी से (i) इरेडा की वर्तमान सुरक्षोपाय नीतियों और संरचना की समीक्षा, (ii) इरेडा का ट्रेड रिकार्ड तथा क्षमता का आकलन, (iii) एडीबी के सुरक्षोपाय नीति प्रवक्तन (2009) के संबंध में कमियों का चिन्हित किया जाना, (iv) एडीबी की अपेक्षाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संशोधनों के सुझाव देने तथा (v) कमियां, यदि कोई, को भरने के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण कार्यों का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

—

स्वदेशी लोग

—

■ स्टैकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

—

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

—

■ विवरण

स्वच्छ ऊर्जा वित्त निवेश कार्यक्रम (कार्यक्रम) भारत द्वारा एक राजकीय गारंटी युक्त एक वित्तीय संस्था ऋण की प्रकृति में एक प्रस्तावित बहु-ट्रांश वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) है, जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड (इरेडा) को

15 वर्ष तक उप-ऋण प्राप्तकर्ताओं को अक्षय ऊर्जा (आरई) तथा ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं के लिए आगे उधार देने हेतु दीर्घकालीन निधियां प्राप्त करने में सहायताप्रद होगी। इस कार्यक्रम से इरेडा को ऐसी परियोजनाओं में वित्तपोषण में सहायता मिलेगी जो अन्य प्रकार से एडीबी से वित्तपोषण हेतु ग्राह्य हैं, परंतु 5 मिलियन डॉलर से 15 मिलियन डॉलर के बीच दायरे में उनके लघु आकार के कारण सीधे वित्तपोषण नहीं किया जाएगा। इसके परिणामों में पवन, बायोमास, जल, सौर जैसे स्रोतों के उपयोग द्वारा आरई जनन हेतु बड़ी संख्या में उपपरियोजनाएं तथा सहउत्पादन और मांग-पक्ष ईई के सुधार हेतु परियोजनाएं शामिल होंगी।

■ परियोजना तर्काधार और केंद्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

इंडिया केंद्री भागीदारी रणनीति (2013-17) में बल दिया गया है कि एडीबी अक्षय ऊर्जा तथा न्यून-कार्बन ऊर्जा स्रोतों के लिए अपनी सहायता में विस्तार करेगा। चूंकि यह सरकार के लिए आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु प्रधान माध्यम है, नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एडीबी से इरेडा के परिचालन को अगले 5 वर्ष तक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इरेडा ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2013 से 2017 तक के लिए एक मध्य-अवधि व्यवसाय योजना अपनाई है, जिसके अंतर्गत इसने अगले पांच वर्ष की अवधि में आरई तथा ईई परियोजनाओं को रु. 218 बिलियन (4.4 बिलियन डॉलर) के ऋण मंजूर करने तथा रु. 139 बिलियन (2.8 बिलियन डॉलर) के संवितरण का पूर्वानुमान लगाया है। इरेडा की योजना इस अवधि के दौरान भिन्न स्रोतों से 1.3 बिलियन डॉलर जुटाना है, जिसमें से एमएनआरई ने एडीबी से 500 मिलियन डॉलर उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। एडीबी ऋण एमएफएफ के रूप में प्रस्तावित है ताकि इरेडा मध्यावधि का क्रेडिट प्राप्त कर सके जो वास्तविक पोर्टफोलियो प्रगति के आधार पर ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है। एमएफएफ मॉडल एडीबी को अन्य उत्पाद, जैसेकि भविष्य में सीधे ऋणों के स्थान पर गारंटियां, उपलब्ध कराने हेतु नम्यता प्रदान करेगा। एडीबी ऋण इरेडा की आगे उधार देने की जरूरतों के अनुसार एक के पीछे एक प्रवाह उपलब्ध कराने द्वारा प्रवाह असंतुलन भी न्यूनतम रखेगा। यह वित्तपोषण मॉडल अपने आप में स्व-पोषी है, चूंकि इरेडा की मूल्यांकन प्रणालियां किसी भी उपयोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करेंगी।

■ विकास प्रभाव

स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के लाभ भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देते हैं।

■ परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन

भारत में अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए दीर्घ कालीन वित्तपोषण की वर्द्धित उपलब्धता।

परिणाम की दिशा में प्रगति

—

■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
1. अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता उपपरियोजनाओं में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में वृद्धि। 2. उपपरियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए इरेडा की संस्थानिक क्षमता में सुधार। 3. इरेडा की ऋण प्राप्त करने की अंतरराष्ट्रीय क्षमता में वृद्धि। 4. इरेडा में परियोजना प्रबंधन में सुधार।	
विकास परियोजनाओं की स्थिति	महत्वपूर्ण परिवर्तन
—	—

■ व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	—
परामर्शी सेवाएं	—
अधिप्राप्ति	—
प्रापण और परामर्शी सूचनाएं	http://www.adb.org/projects/46268-001/business-opportunities

■ समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	26 अप्रैल 13
तथ्य-अन्वेषण	01 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2014
प्रबंध समीक्षा बैठक	23 सितम्बर 14
अनुमोदन	—
अंतिम समीक्षा मिशन	—

मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
—	—	—	—	—	—	—

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस \$ हजार)	अन्य (यूएस \$ हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार				
—	—	—	—	—
संचयी संवितरण				
—	—	—	—	—

प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं — लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक — इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक — इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक — इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तातय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण	—	—	—	—	—	—	—

संविदाएं और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	एंज्यू जेफ्रिज़ (ajeffries@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	ऊर्जा प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	—

■ सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट

<http://www.adb.org/projects/46268-001/main>

परियोजना प्रलेखों की सूची

<http://www.adb.org/projects/46268-001/documents>
